राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रशन संख्या : 113
दिनांक :– 03.12.2019
प्रशनकर्ता का नाम :– श्री गिरीश सोनी

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली मे बंदरो के बढ़ते खतरे की जांच के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है, विस्तृत जानकारी दी जाए;	1 माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 14–03–2007 को रिट याचिका (सिविल) न0. 2600/2001 में पारित किए गए निर्देशों के अनुसार असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में बंदरों को पकडा और स्थानांतरित किया गया। वन क्षेत्रों में रिलोकेटेड बंदरों को खिलाने की व्यवस्था की गई हैं। 2 सार्वजनिक स्थान पर बंदरों को खिलाना प्रतिबंधित किया गया है, और सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों को खिलाने के खिलाफ जनता के बीच जागरूकता का हवाला दिया गया हैं। 3 वृक्षों के बड़े पैमाने पर रोपण, प्रजातियों के साथ, जो बंदरों के प्राकृतिक भोजन का आधार बनाते है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिणी रिज के निकटवर्ती क्षेत्रों में लिया गया हैं।
ख)	दिल्ली मे पी॰ डब्लू॰डी॰, बागवानी, एम॰सी॰ डी॰ और सी॰ पी॰ डब्लू॰डी॰ द्वारा कितने पौधे लगाए गए है;	वर्ष 2019-20 मे वांछित विभागों द्वारा लगाए गए पौधो का विवरण इस प्रकार है:- पी॰ डब्लू॰डी॰,- 3,55,788 बागवानी (पर्यावरण विभाग)- 5150 एम॰सी॰ डी॰- 5,92,557 सी॰ पी॰ डब्लू॰डी॰- 5933
ग)	उक्त सभी विभागों द्वारा आर॰ के॰ पुरम विधान सभा क्षेत्र मे कितने पौधे लगाए गए है;	वर्ष 2019-20 मे लोक निर्माण विभाग द्वारा 344 पौधे तथा 15117 झाड़ियाँ लगायी गयी है ।
(घ)	वर्ष 2015 से दिल्ली मे प्रदूषण को कम करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है; पूर्ण जानकारी दी जाए;	वांछित सूचना अनुच्छेद- अ पर सलंगन है ।
(ड)	दिल्ली मे प्रदूषण को पूरी तरह रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है, विस्तार से जानकारी दी जाए;	

Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002

<table>
<tr><td>(च)</td><td>दिल्ली मे ग्रीन कवर मे कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है; और</td><td>दिल्ली मे ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए सभी ग्रीनिंग एजेंसियों/ विभागो द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है पिछले 05 वर्षो का पौधारोपण व वितरण का विवरण इस प्रकार है:-

<table><tr><td>वर्ष 2015-16</td><td>16,51,448</td></tr><tr><td>वर्ष 2016-17</td><td>24,75,665</td></tr><tr><td>वर्ष 2017-18</td><td>19,62,598</td></tr><tr><td>वर्ष 2018-19</td><td>28,95,816</td></tr><tr><td>वर्ष 2019-20</td><td>24,44,234</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>आर॰ के॰ पुरम विधान सभा क्षेत्र मे उन जगहो के बारे मे विस्तार से बताए जहां लाखो पौधे लगाने के लिए मेगा प्लांटेशन किया जाता है?</td><td>आर॰ के॰ पुरम विधान सभा क्षेत्र मे वन विभाग की कोई भूमि नहीं है जहां लाखो पौधे लगाने के लिए मेगा प्लांटेशन किया जा सके।</td></tr>
</table>

Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002

अनुच्छेद -अ

Part reply to Vidhan Sabha Unstarred Q. No. 113 (घ और ड)

घ) वर्ष 2015 से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए गए हैं;

ड) दिल्ली में प्रदूषण को पूरी तरह रोकने के लिए सरकार की क्या योजना हैं, विस्तार से जानकारी दी जाए;

उत्तर घ) एंव ड) ..

सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

वायु प्रदूषण हेतु :

- **लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क (ईसीसी) की वसूली** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेषों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेष करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआबजा षुल्क लगाया जाता है। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देषों के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है।
- **पटाखे चलाने पर रोक** : धार्मिक अवसरों को छोड़कर अन्य सभी मौकों पर पटाखे चलाने/आतिषबाजी पर रोक लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (नियमावली), 1983 के नियम 20–क के साथ पठित प्रावधानों के तहत 08.12.2016 को निर्देष जारी किये गये।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी0पी0सी0सी0) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी0पी0सी0सी0 के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डीपीसीसी द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है।
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए ओ.ए. 21/2014 (Vardhman Kaushik vs UoI & Ors.) के संदर्भ में वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देषों के अनुपालन किया जा रहा है।
- खुले में अपषिष्ट /कूड़ा–करकट जलाने वालों पर नजर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- धूल उड़ने से रोकने के नियम के उल्लंघन की निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी0पी0सी0सी0) ने दिल्ली में केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने के लिए 29/06/2018 को अधिसूचना जारी की है।
- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- डी0 पी0 सी0 सी0 एवं Washington University, USA ने एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षर किया है जिसके तहत दिल्ली में वायु की गुणवता जानने हेतू Real time Source Apportionment अध्ययन किया जा रहा है।
- नगर निगमों ने निर्माण एवं विध्वंस मलबे, कचरे और प्लास्टिक डंप की पहचान और साफ करने, गड्ढों को भरने, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धूल भरे स्थानों पर पानी का छिड़काव करने जैसे अभियानों को अंजाम दिया है ।
- 13 चिन्हित संवेदनशील स्थलों (hotspots) जैसे की वजीरपुर, अशोक विहार, पंजाबी बाग, द्वारका, आर.के. पुरम, जहांगीरपुरी, नरेला, मुंडका, आनंद विहार, विवेक विहार और ओखला में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने हेतु तेजी से कार्यवाही की गई है।
- ट्रैफिक पुलिस और नगर निगमों ने भीड़भाड़ वाले यातायात गलियारों में यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए संयुक्त अभियान चलाते हुए अनधिकृत वाहनों तथा बिना लाइसेंस वाले vendors के द्वारा अतिक्रमण हटाया है।
- 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पैट्रोल की गाड़िया चलाने पर माननीय राष्ट्रीय

Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002

हरित अधिकरण के आदेश पर रोक का अनुपालन किया जा रहा है।

- 3000 नई बसें cluster योजना के अंदर तथा नई 2000 DTC buses खरीदकर बसों की मात्रा बढ़ाई जा रही है।
- परिवहन विभाग तथा यातायत पुलिस द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया है। उन्हे जब्त तथा भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
- यातायत पुलिस, विशेषकर जाम लगने वाले स्थलों /सड़कों पर भीड़भाड़ कम करवा रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 04.11.19 15.11.19 तथा 25.11.19 का अनुपालन किया जा रहा है।
- बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध कार्य योजना (Action Plan) बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।
- EPCA द्वारा समय समय पर Graded Response Action Plan के अर्न्तगत दिये गये निर्देश लागू किए जा रहे है।
- अखवारों में विज्ञापनों जागरूकता सम्मेलनों कार्यक्रमों द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु लोगों को जागरूक किया गया है।

जल प्रदूषण हेतु :

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि. प्र. नि.स.) 9 स्थानों पर यमुना नदी तथा 24 नालों की जल गुणवत्ता की निगरानी करती है।
- दिल्ली में जल प्रदूषण की रोकथाम एंव नियंत्रण के लिये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (जल प्रदूषण नियंत्रण एंव रोकथाम अधिनियम) के तहत आवश्यक कार्यवाही करती है।
- दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस समय कुल 35 STPs चलाए जा रहें है। जिसकी कुल क्षमता 595 MGD है।
- दिल्ली जल बोर्ड द्वारा Interceptor Sewage Project (ISP) पर काम चल रहा है जोकि 31. 12.2019 तक पूरा किया जाना है।
- इसके अतिरिक्त 17 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले Waste Water के Treatment लिए 13 CETPs चल रहे है जिनकी कुल क्षमता 212.3 MLD है।
- प्रदूषण फैलाने वाली ईकाईयों को जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रदूषण मानकों का पालन करवाया जाता है।
- दि. प्र. नि.स. नियमित रूप से दिल्ली जल बोर्ड के समस्त मलजल शोधन संयंत्र और 13 संयुक्त प्रवाह शोधन संयंत्र सं. प्र. शो.सं. की निगरानी कर रहा है।
- दि. प्र. नि.स. जल अधिनियम के तहत स्वीकृति के बिना परिचालन में पाए गए उधोगों /इकाइयों या निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करता है। दि. प्र. नि.स. समय समय पर उधोगों /इकाइयों की सूचना के लिए वायु और जल अधिनियमों के तहत अनिवार्य सहमति पत्र की आवश्यकता के बारे में और शोंधन संयंत्रों के सुचारू के लिए भी सार्वजनिक सुचनाएं जारी करता रहता है।

Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002

ध्वनि प्रदूषण हेतु :

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और जैसा कि तिथि में संशोधन किया गया हैं इन नियमों में विभिन्न क्षेत्रो/जोनो के लिए ध्वनि मानकों का उल्लेख किया गया हैं। इन मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नामित किया गया है।
- सभी सरकारी कार्यालयों, सभी कचहरियों, 100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों एवं 1000 से अधिक विधार्थियों वाले शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरें को शांत क्षेत्र (साइलैंस जोन) अधिसूचित किया गया है।
- 5 के0 वी0 ए0 से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर सैट को (ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों को छोडकर) रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा डीजल जनरेटर सैट में ध्वनि प्रतिरोधक संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय–समय पर प्रेशर हॉर्न तथा हौंकिंग हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों का चालान तथा अन्य कार्यवाही करती है।
- **जनता की शिकायत हेतू 155271 Helpline तथा www://ngms.delhi.govt.in चलाया गया है।**

कचरा प्रबंधन हेतु:

- **दिल्ली में उतपन्न होने वाले ठोस कचरे के निपटान हेतु 3 WTE प्लांट– औखला, गाजीपुर एंव बवाना में चल रहे है।**
- **बवाना में ठोस कचरे के निपटान के लिए एक Engineering Landfill Site भी चल रही है।**
- निर्माण और विध्वंस (construction & demolition) कचरे के निपटान हेतु 3 प्लांट–जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क और रानीखेड़ा (मुन्डका) में चल रहे है।
- **कचरा** प्रदूषण को ठोस अपशिष्ट प्रंबधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
- **दिल्ली में 3 जगह (भलसवा, गाजीपुर एंव औखला) पर पहले से पडे कूडे को हटाने / निपटान के लिए माननीय** राष्ट्रीय हंरित अधिकरण के निर्देश अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- **50 micron से कम के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर माननीय** राष्ट्रीय हंरित अधिकरण द्वारा लगाई रोक का अनुपालन किया जा रहा है।
- बायोमैडिकल वेस्ट के निपटान हेतु 2 Common biomedical waste treatment facilities (CBWTFs) चल रही है।

Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002